# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 27.11.2019

मु0न0 143/19

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

सुआलाल पुत्र मोहरलाल मीना निवासी भोटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट (वादी)
2 पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निर्णय दिनांकः– 21.01.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भौटवाडा स्थित खाता संख्या 258 की आराजी ख0न0 459/0.21, 460/0.22, 461/0.21, 462/0.21 कुल किता 4 कुल रकवा 0.85 है0, खाता संख्या 255 की आराजी ख0न0 1085/0.20, 1143/0.05, 1508/0.10, 1509/0.23, 1510/0.01, 1511/0.24, 1529/0.19, 1771/0.19, 1859/0.17 कुल किता 9 कुल रकवा 1.38 है0, खाता संख्या 259 के ख0न0 1827 रकवा 0.05 है0, खाता संख्या 344 के ख0न0 1507 रकवा 0.43 है0, खाता संख्या 256 के ख0न0 1512 रकवा 0.34 है0, खाता संख्या 257 के ख0न0 1858 रकवा 0.30 है0, मे वादी का नाम सुवालाल पुत्र मोहरपाल दर्ज कर रखा है। जो कि गलत दर्ज है।

वादी का सही नाम सुआलाल पुत्र मोहरलाल है परन्तु रेवन्यू कर्मचारियो ने नामांतकरण दर्ज करते समय सुआलाल पुत्र मोहरलाल के स्थान पर सुवालाल पुत्र मोहरपाल दर्ज कर रखा है जो गलत है। इस कारण हाल जमाबन्दी रिकार्ड मे सुवालाल पुत्र मोहरपाल के स्थान पर सुआलाल पुत्र मोहरलाल दर्ज किया जावे। वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, आदि दस्तावेजो मे सुआलाल पुत्र मोहरलाल दर्ज है। इस कारण वादी एवं वादी के पिता के नाम दुरूस्ती फरमाई जावे।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम भौटवाडा स्थित आराजी खाता संख्या 258 की आराजी ख0न0 459/0.21, 460/0.22, 461/0.21, 462/0.21 कुल किता 4 कुल रकवा 0.85 है0, खाता संख्या 255 की आराजी ख0न0 1085/0.20, 1143/0.05, 1508/0.10, 1509/0.23, 1510/0.01, 1511/0.24, 1529/0.19, 1771/0.19, 1859/0.17 कुल किता 9 कुल रकवा 1.38 है0, खाता संख्या 259 के ख0न0 1827 रकवा 0.05 है0, खाता संख्या 344 के ख0न0 1507 रकवा 0.43 है0, खाता संख्या 256 के ख0न0 1512 रकवा 0.34 है0, खाता संख्या 257 के ख0न0 1858 रकवा 0.30 है0, मे वादी के नाम सुवालाल पुत्र मोहरपाल के स्थान पर सुआलाल पुत्र मोहरलाल दर्ज किया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थित सीधे बहस करते हुये कथन किया कि वादी सुवालाल पुत्र मोहरपाल एवं सुआलाल पुत्र मोहरलाल एक की व्यक्ति है इसलिये सुवालाल पुत्र मोहरपाल के स्थान पर सुआलाल पुत्र मोहरलाल किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। वादी वकील ने अपनी बहस मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि वादी सुवालाल पुत्र मोहरपाल नाम के स्थान पर सुआलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज किया जावे।

बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम भौटवाडा सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 255, 256, 257, 258, 259, 344 मे सुवालाल पुत्र मोहरपाल जाति मीना दर्ज रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो आधार कार्ड न0 2697 0527 3651, एवं राशनकार्ड कमांक 007632000004 मे वादी का नाम सुआलाल पुत्र मोहरलाल जाति मीना निवासी भौटवाडा दर्ज है। जिसके अनुसार वादी एवं उसके पिता का नाम शुद्व किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः ग्राम भौटवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 255, 256, 257, 258, 259, 344 मे सुवालाल पुत्र मोहरपाल जाति मीना के स्थान पर सुआलाल पुत्र मोहरलाल जाति मीना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

21/1/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.29 15:46:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: